INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UP27288600014025V
Certificate Issued Date	:	06-Jun-2023 12:25 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14185704/ JAISINGHPUR/ UP-SLT
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14185704494191805900074V
Purchased by	:	BINA RAY WO KALU RAM RAM CHET RAY
Description of Document	:	Article 64 (A) Trust - Declaration of
Property Description	:	NA
Consideration Price (Rs.)	:	5,000 (Five Thousand only)
First Party	:	K R CHAIRITABLE TRUST
Second Party	:	BINA RAY WO KALU RAM RAM CHET RAY
Stamp Duty Paid By	:	BINA RAY WO KALU RAM RAM CHET RAY
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	800 (Eight Hundred only)

सत्यमेव जयते

Locked

S.R.Jaisinghpur

Please write or type below this line

बीना राय

बीना राय

"के0आर0.चैरिटेबल ट्रस्ट"

(न्यास ट्रस्ट) दस्तावेज

मैं **बीना राय पत्नी कालूराम रामचेत राय** निवासी ग्राम– ढेमा, पोस्ट– ढेमा, तहसील– जयसिंहपुर, जनपद– सुलतानपुर 228132 (उ0प्र0) **"के0आर0.चैरिटेबल ट्रस्ट"** (स्थित ग्राम– ढेमा, पोस्ट– ढेमा, तहसील– जयसिंहपुर, जनपद– सुलतानपुर 228132 (उ0प्र0) की स्थापना करती हूँ।

इस लोक कल्याणी न्यास की स्थापना आज दिनांक **06 जून 2023** को की गई। यह न्यास दस्तावेज **"के0आर0.चैरिटेबल ट्रस्ट"** के नाम से जाना जायेगा एवं इसकी स्थापना अधोलिखित उद्देश्यों से किया जा रहा है। जिस पर इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के समस्त नियम उपनियम लागू होंगे।

मैं प्रधान न्यासी **बीना राय पत्नी कालूराम रामचेत राय** सत्य निष्ठा व स्वविवेक से मुबलिक **5,000/–** रू (पांच हजार रूपये) **न्यास** में जमा करके इस न्यास की स्थापना करती हूँ एवं इस **5,000/–** रू (पांच हजार रूपये) की धनराशि के साथ–साथ वे सभी धनराशि व सम्पत्तियां जो समय–समय पर अनुदान, अंशदान, उपहार, बक्सीस, क्रय आदि से किसी व्यक्ति या

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

व्यक्तियों द्वारा या मेरे द्वारा या संस्थान, संगठन, संघ, सरकार या स्थानीय निकाय एम. एल.ए., एम.एल.सी., एम.पी., चेयरमैन, प्रधान या अन्य की निधि द्वारा दिया जायेगा। उस सभी पर न्यास का आधिपत्य होगा तथा वह न्यास की सम्पत्ति होगी। किसी भी परिस्थिति में न्यास के उद्देश्य को पूरा करने के अलावा, अन्य किसी व्यक्ति द्वारा व्यक्गित या निजी उपयोग में नहीं लायी जायेगी। उक्त सम्पत्ति के रख–रखाव हेतु एक न्याय फण्ड होगा। जिसका उल्लेख रजिस्टर में अंकित किया जायेगा और बैंक खाते में जमा किया जायेगा। ट्रस्ट का कार्यालय ट्रस्ट का भाग नहीं होगा। मौजूदा समय में ट्रस्ट के पास कोई चल–अचल सम्पत्ति नहीं है।

मैं **बीना राय पत्नी कालूराम रामचेत राय** एतद् द्वारा निम्न व्यक्तियों को न्यासी नियुक्त करती हूँ–

1. श्रीमती **बीना राय पत्नी कालूराम रामचेत राय** निवासी **ग्राम– ढेमा, पोस्ट– ढेमा, तहसील– जयसिंहपुर, जनपद– सुलतानपुर 228132 (उ0प्र0), गृहिणी।**
2. श्री **कालूराम रामचेत राय पुत्र रामचेत राय** निवासी **ग्राम– ढेमा, पोस्ट– ढेमा, तहसील– जयसिंहपुर, जनपद– सुलतानपुर 228132 (उ0प्र0), व्यवसाय।**
3. **कु0 दीपा राय पुत्री** कालूराम रामचेत राय निवासी **ग्राम– ढेमा, पोस्ट– ढेमा, तहसील– जयसिंहपुर, जनपद– सुलतानपुर 228132 (उ0प्र0), अध्ययन।**
4. श्री **सूरज शर्मा** पुत्र राम **औतार शर्मा** निवासी **पालघर मुम्बई 401404– (महाराष्ट्र), व्यवसाय।**

5. श्रीमती **ज्योति पत्नी सूरज** निवासी **पालघर मुम्बई 401404– (महाराष्ट्र), गृहिणी।**

न्यास का नाम– **"के0आर0.चैरिटेबल ट्रस्ट"**

न्यास का स्थाई पता– **ग्राम– ढेमा, पोस्ट– ढेमा, तहसील– जयसिंहपुर, जनपद– सुलतानपुर 228132 (उ0प्र0)**

निज निवास– **बीना राय पत्नी कालूराम रामचेत राय** निवासी **ग्राम– ढेमा, पोस्ट– ढेमा, तहसील– जयसिंहपुर, जनपद– सुलतानपुर 228132 (उ0प्र0),**

न्यासकर्ता/निर्माता– **बीना राय पत्नी कालूराम रामचेत राय** निवासी **ग्राम– ढेमा, पोस्ट– ढेमा, तहसील– जयसिंहपुर, जनपद– सुलतानपुर 228132 (उ0प्र0),**

न्यास का कार्यक्षेत्र– सम्पूर्ण भारत वर्ष।

न्यास का स्वरूप– यह न्यास एक चैरिटेबल संस्था है।

न्यास की प्रबन्धकारिणी समिति–

नाम	पिता/पति का नाम	पता	पदनाम	व्यवसाय
1.श्रीमती बीना राय	श्री कालूराम रामचेत राय	ग्राम– ढेमा, पोस्ट– ढेमा, तहसील– जयसिंहपुर, जनपद– सुलतानपुर 228132 (उ0प्र0)	मुख्यन्यासी/प्रबन्धक	गृहिणी
2.श्री कालूराम रामचेत राय	श्री रामचेत राय	ग्राम– ढेमा, पोस्ट– ढेमा, तहसील– जयसिंहपुर, जनपद– सुलतानपुर 228132 (उ0प्र0)	उपप्रबन्धक	व्यवसाय

बीना राय

बीना राय

आवेदन सं०: 202300916002418

न्यास पत्र

बही स०: 4	रजिस्ट्रेशन स०: 6	वर्ष: 2023

प्रतिफल- 5000 स्टाम्प शुल्क- 800 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 500 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 560

श्रीमती बीना राय ,
पती श्री कालूराम रामचेतराय
व्यवसाय : गृहिणी
निवासी: ग्रा० व पोस्ट ढेमा पर० अल्देमऊ तह० जयसिंहपुर जिला सुलतानपुर

बीना राय

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 06/06/2023 एवं 02:32:52 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

हुसैन अहमद प्रभारी
उप निबंधक :जयसिंहपुर
सुलतानपुर
06/06/2023

हुसैन . अहमद
निबंधक लिपिक
06/06/2023

प्रिंट करें

नाम	पिता/पति का नाम	पता	पदनाम	व्यवसाय
दीपा राय	श्री कालूराम रामचेत राय	ग्राम– ढेमा, पोस्ट– ढेमा, तहसील– जयसिंहपुर, जनपद– सुलतानपुर 228132 (उ0प्र0)	कोषाध्यक्ष	अध्ययन
श्री सूरज शर्मा	श्री रामऔतार शर्मा	पालघर मुम्बई 401404– (महाराष्ट्र)	सदस्य	व्यवसाय
5.श्रीमती ज्योति	श्री सूरज	पालघर मुम्बई 401404– (महाराष्ट्र)	सदस्य	गृहिणी

न्यास का संविधान – उपरोक्त वर्णित संस्था न्यास के उद्देश्यों को पूरा करने व न्यास के कार्य सम्पादन करने के लिए न्यासीगण द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा अध्यक्ष (मुख्य ट्रस्टी) द्वारा किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलेंगे। जिसमें न्यासफंड का पैसा जमा होगा एवं खाते का संचालन अध्यक्ष (मुख्य ट्रस्टी) न्यासियों की सहमति से स्वयं या किसी अन्य न्यासी के साथ संयुक्त रूप से संचालित करेगा।

प्रबन्धसमिति में न्यासी को शामिल करने का निर्णय न्यासीमण्डल करेगा किन्तु मतैक्य न होने की दशा में अध्यक्ष (मुख्य ट्रस्टी) स्वयं अपने निर्णय से न्यासी नियुक्त कर सकता है।

न्यास की क्रिया कलापों के बारे में अध्यक्ष (मुख्य ट्रस्टी) अन्य सदस्यों से विचार–विमर्श करके निर्धारण करेगा, किन्तु सदस्यों के विचार व सलाह किसी भी तरह (प्रबंधक) पर बाध्यकारी नहीं होगा।

समस्त न्यासीगण जैसा उचित समझे उन्हें न्यास की इस अभिलेख द्वारा की जा रही व्यवस्था को परिवर्तन करने, रूपान्तरण करने एवं न्यास को रूपान्तरित करने का अधिकार अध्यक्ष (मुख्य ट्रस्टी) की सहमति से होगा। किन्तु प्रत्येक परिवर्तन, रूपान्तरण एवं परिवर्धन का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

न्यास में न्यासियों की संख्या न्यूनतम 5 होनी चाहिए।

न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु न्यास की चल–अचल सम्पत्ति पट्टे पर देने, विक्रय करने व किराये पर देने एवं न्यास द्वारा संचालित संस्थाओं को विक्रय करने, पट्टे पर देने, दान आदि देने का अधिकार मुख्यन्यासी को होगा।

न्यास की चल–अचल सम्पत्ति को लीज/गारण्टी/बन्धक कराके बैंक से ऋण आदि लेकर न्यास के उद्‌देश्य की पूर्ति करने का अधिकार मुख्य न्यासी को होगा।

यदि आवश्यकता हो तो अध्यक्ष (मुख्य ट्रस्टी) के न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उपसमिति का गठन कर सकता है नव गठित उपसमिति अध्यक्ष (मुख्य ट्रस्टी) के प्रति उत्तरदायी होगी।

न्यास द्वारा लाये गये वादों या न्यास पर लाये गये वादों की पैरवी हेतु अधिवक्ता या प्रतिनिधि नियुक्ति करने की जिम्मेदारी व अधिकार अध्यक्ष (मुख्य ट्रस्टी) की होगी। न्यास के कार्य संचालन हेतु कर्मचारियों के नियुक्त का अधिकार अध्यक्ष (मुख्य ट्रस्टी) को होगा एवं इनको देय वेतन की धनराशि का निर्धारण अध्यक्ष (मुख्य ट्रस्टी) न्यासीमण्डल की सहमति से करेगा। उपर्युक्त के अलावा एतद्‌द्वारा स्थापित न्यास पर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 जी या उनमें समय–समय पर किया गया संशोधन, पुनर्अधिनियम प्रभावी होगा, जिसके द्वारा दान दाताओं को आयकर से अलग रखा जायेगा या छूट मिलेगी।

न्यास के विघटन की दशा में समस्त सम्पत्ति न्यासकर्ता के उत्तराधिकारीगण या न्यासकर्ता द्वारा नामित व्यक्ति के पक्ष में जायेगी।

बीना राय बीना राय

आवेदन सं०: 202300916002418

बही स०: 4 | रजिस्ट्रेशन स०: 6 | वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

न्यासी: 1

श्रीमती बीना राय, पत्नी श्री कालूराम रामचेतराय

निवासी: ग्रा० व पोस्ट ढेमा पर० अल्देमऊ तह० जयसिंहपुर जिला सुलतानपुर

बीना राय

व्यवसाय: गृहिणी

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री रवीन्द्र, पुत्र श्री रामशिरोमणि

निवासी: ग्रा० व पोस्ट ढेमा पर० अल्देमऊ तह० जयसिंहपुर जिला सुलतानपुर

व्यवसाय: कृषि रवीन्द्र उपा०

पहचानकर्ता : 2

श्री देवेन्द्र कुमार, पुत्र श्री रामकमल

निवासी: ग्रा० व पोस्ट ढेमा पर० अल्देमऊ तह० जयसिंहपुर जिला सुलतानपुर

देवेन्द्र कुमार

व्यवसाय: कृषि

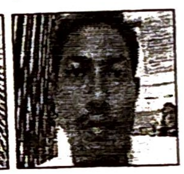

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

हुसैन अहमद प्रभारी
उप निबंधक : जयसिंहपुर
सुलतानपुर
06/06/2023

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

हुसैन . अहमद
निबंधक लिपिक सुलतानपुर
06/06/2023

प्रदेश

प्रिंट करें

e-Stamp 3

सी भी न्यासी की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारीगण या न्यासी के जीवनकाल सके द्वारा नामित प्रतिनिधि अध्यक्ष (मुख्य ट्रस्टी) के सहमति से न्यासमण्डल में उस सी का स्थान लेगा।

मुख्यन्यासी की मृत्यु के पश्चात मुख्यन्यासी के उत्तराधिकारीगण द्वारा नामित व्यक्ति या मुख्यन्यासी का उत्तराधिकारी ही न्यास का अध्यक्ष (मुख्य ट्रस्टी) होगा। इस ट्रस्ट की स्थापना शिक्षा अनुभाग–7 संख्या– 9/2016/835/15–07–2016–1 (29 2014 दिनांक 15 जून 2016 के अनुपालन में की जा रही है। मुख्यन्यासी अपने जीवन काल में मुख्यन्यासी किसी भी व्यक्ति को नामित कर सकता है।

न्यास या न्यास द्वारा संचालित संस्था/संस्थाओं का प्रबन्धन मुख्यन्यासी द्वारा किया जायेगा मुख्यन्यासी ही न्यास/ न्यास द्वारा संचालित संस्थाओं का प्रबन्धक/एम0डी0 होगा।

मुख्यन्यासी/ अध्यक्ष (मुख्य ट्रस्टी) द्वारा लिये गये सभी निर्णय का अनुमोदन न्यासी मण्डल द्वारा लिया जायेगा। मतैक्य न होने की दशा में कम से कम तीन सदस्य मण्डल के सदस्यों की सहमति आवश्यक है। न्यासी मण्डल की त्रैमासिक, अर्धवार्षिक वा वार्षिक बैठक आवश्कतानुसार मुख्यन्यासी द्वारा आहूत की जायेगी।

ट्रस्ट के मुख्यट्रस्टी को यह अधिकार होगा कि वह ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं की देख–रेख करे और उसके एकाउण्ट रसीद एवं कागजातों आदि का निरीक्षण करे और उसके निरीक्षण के लिए किसी भी आडीटर की नियुक्ति आवश्यकतानुसार करे।

न्यासमण्डल की बैठक बुलाना और उसे आवश्कतानुसार स्थगित करनें का भी अधिकार मुख्यट्रस्टी को होगा।

ट्रस्ट के उद्देश्य–

1. शिक्षा, शिक्षा से सम्बन्धित समस्त कार्य करना जिसमें प्राथमिक स्कूल से लेकर परास्नातक तक तथा बी0एड0 एव बी0पी0एड कालेज, औद्योगिक प्राशिक्षण संस्थान, पालिटेक्निक कालेज, बी0टी0सी0 कालेज आदि की स्थापना एवं संचालन करना।
2. बालक/बलिकाओं को व्यावसायिक शिक्षा में सफल बनाने के लिए सिलाई, कढाई, बुनाई काष्ठ कला, दरी कालीन, टंकण, आशुलिपि कम्प्यूटर, शार्ट हैण्ड फोटो ग्राफी, ब्यूटीपार्लर आदि का प्रशिक्षण देना।
3. केन्द्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अनुमोदित विभिन्न संस्थागत सांस्कृतिक एवं रोजगार परक शिक्षा तथा अन्य कार्यक्रमों का संचालन करना।
4. ज्ञान एवं शोध तथा अन्य तत्त समय उद्देश्यों हेतु छात्रवृत्तियां तथा फेलोशिप प्रदान करना।
5. ऐसा हर सम्भव कदम उठाना जो न्यास के उद्देश्यों की पूति हेतु उपकारी एवं सहायक हो।
6. शासन के मंशा के अनुरूप राष्ट्रीय एकता एवं समाज के उत्थान के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना।
7. समाज के स्वरोजगार योजना एवं आत्मनिर्भरता की भावना जागृत करना।
8. गरीब, बिकलांगों, मूक बधिर, मंदबुद्धि आदि को शिक्षा–दीक्षा पुर्नवास हेतु कार्य करना एवं प्रचार–प्रसार करना तथा सरकारी विभिन्न कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता पैदा करना।
9. गरीब, अनुसूचित जातियों को मुफ्त शिक्षा–दीक्षा एवं रोजगार परक शिक्षा का प्रबंध करना।
10. गरीब एवं निराश्रित महिलाओं के कल्याणार्थ एवं उनकी जीवन स्तर को उठाने हेतु रोजगार परक शिक्षा देना एवं कार्य करना।
11. गरीब, अल्प संख्यक वर्ग के कल्याणार्थ कार्य करना।

बीना राय   बीना राय

12. परिवार नियोजन एवं कुष्ठ रोग नियंत्रण हेतु समाज में जागरूकता पैदा करना एवं कार्य करना।

13. केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा मान्य व्यवसाय परक शिक्षा, महिला आई.टी.आई./पलीटेक्निक, तकनीकी शिक्षा एवं शिक्षा की व्यवस्था करना तथा शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था करना तथा तत्त सम्बन्धित शिक्षण संस्थाओं का संचालन करना।

14. पर्यावरण एवं जल तथा वन्यजीव संरक्षण हेतु कार्य करना।

15. समाज कल्याण विभाग/ग्राम कल्याण विभाग द्वारा जनहित में चलाये गये कार्यक्रमों का क्रियान्यवयन करना एवं समाज कल्याण हेतु वह प्रत्येक कार्यक्रमों को करना जो समाज व देश के हित में हो तथा प्राकृतिक व दैवीय आपदा आने पर पीड़ित व्यक्तियों की सहायता करना व शासन–प्रशासन द्वारा चलाये गये कार्यक्रमों में सहयोग प्रदान करना।

16. भारतीय संस्कृत भाषा, दर्शन शास्त्रा, कला एवं संगीत तथा अन्य प्राच्य विधाओं, आर्युविज्ञान के सम्वर्धन एवं विकास में साधक भूमिका हेतु समय–समय पर गोष्ठियों व्याख्यान माला, शोध एवं शिक्षण–प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं उसके विकास के लिए प्रकाशन एव प्रर्दशनियों का आयोजन करना।

17. केन्द्र सरकार द्वारा घोषित/स्वीकृत नई शिक्षानीति के सभी प्रावधानों व स्वरूपों को उसी रूप में संचालित करना है, जो कि नई शिक्षा नीति में निर्देशित किया गया हो।

18. शिक्षा का प्रचार–प्रसार करना, प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना एवं शिक्षा द्वारा सामाजिक कुरीतियों को दूर करना तथा लोगों को वैज्ञानिक एवं उपयोगी जानकारी से अवगत कराना। इसके लिए छात्रवृत्ति, पेंशन एवं आर्थिक सहायता, वेतन, विद्यालय को अनुदान, स्कूल–कालेज, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, छात्रावाश, शैक्षिक संस्थानों की स्थापना एवं संचालन करना।

19. ग्रामीण अंचलों में नागरिकों, बालक–बालिकाओं की शैक्षणिक विकास हेतु प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च एवं उच्चेत्तर विद्यालय एवं महाविद्यालयों की स्थापना करना एवं उसका संचालन करने के लिए समुचित प्रबन्ध करना।

20. चिकित्सा पद्धति के विभिन्न विधाओं के विकास हेतु होम्यिोपैथिक, आर्युवेदिक एवं ऐलोपैथिक, मेडिकल कालेज की स्थापना करना।

21. तकनीकी शिक्षा हेतु इन्जीनियरिंग, आईटीआई, पालिटेक्निक कालेज की स्थापना करना एवं सफल संचालन करना।

22. लोगों को आत्म निर्भर बनाने हेतु इलेक्ट्रानिक, कला एवं टाइपिंग, टेलरिंग, ब्यूटीशिएन के क्षेत्र में प्रशिक्षण योजनायें चलाना एवं लघु एवं कुटीर उद्योग लगाने हेतु, शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

23. व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करने हेतु विभिन्न प्रकार के विद्यालयों एवं महाविद्यालओं की स्थापना एवं संचालन करना।

24. विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के तहत लोगों के इजाल हेतु विभिन्न हास्पिटल की स्थापना करना तथा सफल संचालन करना।

25. चिकित्सीय एवं तकनीकी क्षेत्र में विशेष शिक्षण एवं प्रशिक्षण हेतु रिसर्च सेन्टरों की स्थापना करना तथा सफल संचालन करना।

26. शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों एवं बच्चों हेतु विकलांग विद्यालय एवं अन्य विद्यालय की स्थापना करना एवं उसके पुर्नवास हेतु पुर्नवास केन्द्र की स्थापना करना तथा उसका सफल संचालन करना।

बीना राय

बीना राय

27. एड्स, कुष्ठ रोग एवं यौन रोग, पोलियो, कैंसर, तपैदिक एवं अन्य संक्रामक बीमारियो तथा जानलेवा बीमारियों से बचाव के लिए जन जागरण। एवं पीड़ित व्यक्तियों को चिकित्सकीय सुविधा प्रदान करना।

28. प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, अकाल, भूकम्प, आगजनी, महामारी एवं दुर्घटना में समय–समय पर पीड़ितो की सहायता करना।

29. पर्यावरण जल प्रबन्धन एवं ग्लोबल वार्मिंग हेतु समय–समय पर संगोष्ठियों एवं सम्मेलन इत्यादि का आयोजन करना एवं जन जागरण करना।

30. निर्बल वर्ग के व्यक्तियों के लिए उनके अधिकारों एवं दायित्वों के प्रति शिक्षण एवं प्रशिक्षण करना।

31. जन सामान्य को न्याय दिलाने हेतु समय–समय पर विधिक सहायता केन्द्र चलाकर विधिक जानकारी प्रदान करना।

32. समय–समय पर चिकित्सा शिविरों का आयोजन करना।

33. पुस्तकालय एवं वाचनालयों की स्थापना करना।

34. समाचार पत्रा, पत्रिकाओं का प्रकाशन करना।

35. सामाजिक कुरीतियों जैसे दहेज उत्पीड़न, अत्याचार एवं यौन शोषण, बाल यौन शोषण, मादक द्रव्यों का सेवन इत्यादि के विरूद्ध जन जागरण करना एवं विधिक सहायता प्रदान करना।

36. जन समुदाय में राष्ट्रप्रेम की भावना विकसित करने हेतु भारतीय महापुरूषों एवं स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी से सम्बन्धित संगोष्ठियों, सेमिनार एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना एवं कराना।

37. नव युवकों को रोजगार प्रदान करने हेतु डेरी फार्म व पशु पालन प्रदान करना।

38. स्वरोजगार योजना के तहत खाद्या सामग्री की शुद्धता का विशेष ध्यान देते हुए, खाद्य सामग्री का उत्पादन करना व एकत्री करण करना तथा सहकारी समिति का गठन कर उचित मूल्यों पर उपभोक्ताओं तक पहुँचाना।

39. स्वरोजगार के तहत वन औषधि, पौधों का संरक्षण, उत्पादन संग्रह कर उपभोक्ताओं तक पहुँचाना।

40. अनाथ, असहाय बच्चों की देख–रेख, पालन–पोषण, शिक्षा, चिकित्सा इत्यादि हेतु पुर्नवास की व्यवस्था करना तथा परिवार की अवधारणा में पुनर्वास केन्द्र की स्थापना करना।

41. महिलाओं एवं वृद्धों और विधवाओं के लिए पुर्नवास की स्थापना कराना एवं सेवाश्रम की स्थापना करना।

42. वन जीवन, जन्तु, पक्षी इत्यादि के संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु सघन अभियान चलाना आदि।

43. आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की शिक्षा, चिकित्सा, शादी विवाह करना या कराना।

44. प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित लोगों का संगठन बनाकर योग्यता एवं क्षमता के अनुरूप रोजगार प्रदान करना।

45. असंगठित मजदूरों को संगठित कर नियमित रोजगार प्रदान करने का प्रयास करना तथा उनकी समस्यों का उचित एवं वैधानिक समाधन करना व कराना।

46. क्षेत्रावासियों में स्वलम्बन एवं आत्मनिर्भरता की भावना को उत्पन्न करते हुए खादी ग्रामोद्योग आयोग/बोर्ड की नीतियों के अनुरूप शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करते हुए उत्पादन केन्द्र खोलना व संचालन करना।

47. उद्योग विभाग या खादी बोर्ड से संचालित कार्यक्रमों का क्रियान्यवन।

बीना राय बीना राय

48. सामान्य उद्देश्य से प्रेरित अन्य संस्थाओं का अपने आवश्यकतानुसार सम्बद्ध होना एवं उसका अधिग्रहण करना तथा उसका सदस्ता प्रदान करना।

49. सरकारी, अर्द्धसरकारी निगमों, संस्थाओं, विभागों, उत्तर प्रदेश, निर्यात निगम, लघु उद्योग निदेशालय, महिला कल्याण निगम, पिछड़ा कल्याण निगम, अल्प संख्यक कल्याण निगम तथा अन्य वित्तीय एजेन्सियों एवं व्यक्तियों के माध्यम से संचालित प्रशिक्षण केन्द्र।

50. कार्यक्रमों एवं उसके वित्तीय सहायता, अनुदान, परामर्श आदि लेकर समाज के निर्धन पिछडे, अनु.जाति/अनु. जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को प्रशिक्षित करके स्वलम्बी बनाना।

51. कृषि क्षेत्रा में कृषक समाज को आर्थिक व सामाजिक रूप से आत्म निर्भर बनाने, सहकारी खेती को बढ़ावा देना। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु कृषि वैज्ञानिकों के माध्यम से कृषक मेला आदि का आयोजन करना साथ ही साथ कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना, समुचित जल प्रबन्ध करना।

52. ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना करना, मृदा संरक्षण पर्यावरण संरक्षण हेतु जैविक कृषि को बढ़ावा देना। कृषि उपज को बेहतर मूल्य हेतु विपणन की व्यवस्था करना।

53. मध्य निषेध तथा व्यासन मुक्ति शिविरों का आयोजन करना।

54. संस्कृत महाविद्यालय एवं संस्कृत विद्यालयों की स्थापना करना।

55. अल्पसंख्यक गरीब एवं असहाय बच्चों का सिलाई, कढ़ाई, नाई शिल्प कला, दरी, कालीन, टंकण एवं आशुलिपि, कम्प्यूटर, ग्रामोद्योगिक प्रशिक्षण दी जाने की व्यवस्था कराना।

56. इस न्यास से सम्बन्धित सभी प्रसंगों का न्याय क्षेत्रा सुलतानपुर उ0प्र0 होगा।

57. भविष्य में दान, क्रय, पट्टा आदि से जो भी सम्पत्ति प्राप्त होगी। वह भी न्यास की सम्पत्ति होगी।

58. बारात घर की स्थापना, धर्मशाला या लोक कल्याण केन्द्र की स्थापना।

59. सरकार के मंशानुरूप कार्यक्रमों का आयोजन करवाना।

मसविदाकर्ता— रामशिरोमणि पाण्डेय (एडवोकेट), जयसिंहपुर, सुलतानपुर।

साक्षी— 1.रवीन्द्र सुत श्री राम शिरोमणि उपाध्याय निवासी— ग्राम— ढेमा, पोस्ट— ढेमा, तहसील—
जयसिंहपुर, जनपद— सुलतानपुर 228132 (उ0प्र0)

2.देवेन्द्र कुमार सुत रामकमल निवासी— ग्राम— ढेमा, पोस्ट— ढेमा, तहसील— जयसिंहपुर,
जनपद— सुलतानपुर 228132 (उ0प्र0)

टाइपकर्ता— संतोष कुमार यादव, एस.के. कम्प्यूटर्स कादीपुर—सुलतानपुर मो. 8953698219

बीना राय बीना राय

रवीन्द्र उपा० S/o राम-शिरोमणि उपा० ग्रा।पो० ढेमा परगना- अल्देमऊ तहसील- जयसिंहपुर सुल्तानपुर

देवेन्द्र कुमार S/o रामकमल ग्रा० ढेमा परगना अल्देमऊ तहसील जयसिंहपुर जिला सुल्तानपुर

आवेदन सं०: 202300916002418

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 11 के पृष्ठ 1 से 14 तक क्रमांक 6 पर
दिनाँक 06/06/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

हुसैन अहमद प्रभारी
उप निबंधक : जयसिंहपुर
सुलतानपुर
06/06/2023

उत्तर प्रदेश